न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 335 /2022

उनवान

1–5 इकबाल खां, ताज मोहम्मद, पप्पू खां, मु. भंवरी बेगम, मु. मुन्नी बेगम पिता आसू खां कायमखानी निवासी भीमपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

6– मु. सन्दल बेगम पत्नी आसू खां कायमखानी निवासी भीमपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

7– मु. समीम बेगम पुत्री आसू खां कायमखानी निवासी भीमपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– घीसू पिता कल्याण कुमावत निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

2– हंसराज पिता पेमा रेगर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

3– गंगाराम पिता गोकल कुमावत निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

4– मदन पिता बालू कुमावत निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

5– अणदीराम पिता हरलाल कुमावत निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

6– मु. कंकू देवी पत्नी रामलाल कुमावत निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

7– मु. बालीदेवी पत्नी मिश्रीलाल कुमावत निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

8– मु. मनभरदेवी पत्नी गंगाराम कुमावत निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

9– छगना पुत्र लक्ष्मीनारायण कुमावत निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

10– भागुता पुत्र लक्ष्मीनारायण कुमावत निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

11– लादू पिता गीला चमार निवासी तस्वारिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री सोहेल खां कायमखानी :– अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री राजेश वर्मा :– अधिवक्ता विपक्षी सं0 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 13.06.2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **अमरपुरा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 303 रकबा 0.42 है0, 389 रकबा 0.41 है0, 526/388 रकबा 0.15 है0** कुल किता **3** रकबा **0.98** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है व प्रार्थीगण जब अपनी आराजियात की मेड़ों से घास काटते समय भी विपक्षी विवाद करते है। व सीमा संबंधी विवाद विपक्षीगण द्वारा किये जाने के कारण पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 20.09.2022 को विपक्षीगण सं0 1 लगायत 5 के सम्मन अदम तामिल प्राप्त हुए। विपक्षी सं0 11 का सम्मन बाद/अदम तामिल नहीं लौटा। एवं विपक्षीगण सं0 6 लगायत 10 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त किन्तु बावजूद सम्मन तामिल के कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी सं0 4 की ओर से अभिभाषक श्री त्रिलोकचंद नौलखा द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.05.2023 को शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पत्रावली दिनांक 19.05.2023 को सीगे से पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण सं0 1 से 3, 5 एवं 11 के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवही ड्रोप की गयी। एवं प्रकरण विपक्षी सं0 4 के जवाब के नियत किया गया। दिनांक 31.05.2023 को अभिभाषक विपक्षी सं0 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अभिभाषक प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेज के रूप में ग्राम अमरपुरा प0ह0 माताजी का खेड़ा संवत् खरीफ 2076 खाता सं0 61 की खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की गयी। **विपक्षीगण संख्या 6 लगायत 10** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने एवं आज दिनांक तक उनकी तरफ से कोई प्लीडर उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं प्रकरण वास्ते बहस हेतु दिनांक 06.06.2023 के नियत किया गया। दिनांक 06.

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

06.2023 को बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी जाकर प्रकरण वास्ते आदेश के दिनांक 13.06.2023 को नियत किया गया।

बहस में अभिभाषक प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार है। जिस हेतु जमाबंदी की नकल संलग्न है। खसरा गिरदावरी की नकल भी प्रस्तुत की गयी है। जिसमें भी प्रार्थीगण का नाम अंकित होकर उनके द्वारा काश्त की गयी फसल का विवरण लिखा गया है। प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होकर उन्हें अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने का अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक विपक्षी सं0 04 द्वारा अपनी बहस में बताया कि विगत 90 वर्षों से उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। अतः कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। खसरा गिरदावरी के संबंध में अभिभाषक विपक्षी द्वारा तर्क किया गया कि खसरा गिरदावरी में फसल काश्त करने वाले का नाम अंकित किया जाता था किन्तु संवत् 2035 के बाद से खातेदार के नाम ही खसरा गिरदावरी में दर्ज कर दिये जाते है। जबकि उक्त आराजी अप्रार्थी द्वारा काश्त की गयी अतः मेरी काश्तशुदा आराजी की पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। मेरे द्वारा उक्त भूमि पर पत्थर की दीवार के निर्माण हेतु पत्थर भी डलवा रखे है। कब्जे के संबंध में अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा तर्क दिया गया कि मेरे द्वारा पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, कब्जे का नहीं। कब्जे संबंधी तथ्य भी पत्थरगढी कराने के पश्चात ही स्पष्ट होगें। एवं कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण जो खातेदार काश्तकार है, को अपनी खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने से रोका नहीं जा सकता है।

हमने प्रकरण का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। जिसका प्रार्थीगण को अधिकार है। कब्जे के आधार पर खातेदार को अपनी खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। कब्जे का निर्धारण इस प्रार्थना पत्र में नहीं होगा। कब्जे के संबंध में विपक्षी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

<u>आदेश</u>

अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम **अमरपुरा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् **आराजी नम्बर 303 रकबा 0.42 है0, 389 रकबा 0.41 है0, 526/388 रकबा 0.15 है0** किता **3 रकबा 0.98 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **13.06.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा